

मंडी परिषद् सेवा विनियमन

(दे. के. ए.  
विधि शाखा, ४)

क्रम-संख्या—606

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्सड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 1 अगस्त, 1984

श्रावण 10, 1906 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-5

संख्या 3819/12-5-600(287)/81

लखनऊ, 30 जून, 1984

उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद्, उ० प्र० 16, ए० पी० सेन रोड, लखनऊ।

पत्रांक प्र० अ० 1 विनियमावली-1984-1366

अधिसूचना

प० आ०—330

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 26-भ के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् लखनऊ राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, निम्नलिखित विनियमावली बनाती है :—



उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान)  
विनियमावली, 1984

अध्याय-एक

सामान्य

संक्षिप्त नाम और  
प्रारम्भ

परिभाषाएं

1--(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान) विनियमावली, 1984 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2--इस विनियमावली में :--

- (क) "अपर निदेशक", "उपनिदेशक" (प्रशासन) और "प्रशासनिक अधिकारी" का तात्पर्य मंडियों के अपर निदेशक, उपनिदेशक (प्रशासन) और प्रशासनिक अधिकारी से है;
- (ख) "परिषद्" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 26-क के अधीन गठित राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् से है;
- (ग) "वर्ग" का तात्पर्य विनियम 5 में निर्दिष्ट पदों के वर्ग से है;
- (घ) "निदेशक" का तात्पर्य मंडी निदेशक से है;
- (ङ) "कर्मचारी" का तात्पर्य विनियम 5 में उल्लिखित वर्ग क, ख, ग, और घ में पूर्णकालिक आधार पर, चाहे संविदा पर, या प्रतिनियुक्ति पर या अन्य प्रकार से नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति है किन्तु इसके अन्तर्गत दैनिक मजदूरी पर, कार्य प्रभारित अंशकालिक आधार पर सेवायोजित व्यक्ति नहीं है;
- (च) "वेतन" का तात्पर्य परिषद् के किसी कर्मचारी द्वारा धनराशि से है और इसके अन्तर्गत उसका--
  - (एक) मूल वेतन भी है जो उसे उसके द्वारा मौलिक रूप से या अस्थायी या स्थानापन्न रूप में धृत पद के लिये स्वीकृत किया गया है;
  - (दो) विशेष वेतन, प्रतिनियुक्ति वेतन और वैयक्तिक वेतन भी है;
  - (तीन) कोई अन्य परिलब्धि या भत्ता भी है जिसे परिषद् द्वारा विशेष रूप से वेतन के रूप में वर्गीकृत किया जाय किन्तु इसके अन्तर्गत मंहगाई भत्ता, अतिकाल भत्ता, यात्रा भत्ता, सवारी भत्ता, चिकित्सा भत्ता नगर प्रतिकर भत्ता, मकान किराया भत्ता, धुलाई भत्ता या इसी तरह का अन्य भत्ता नहीं है;
- (छ) "सेवा" का तात्पर्य परिषद् के अधीन सेवा से है;
- (ज) "नौजिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तत्काल नियुक्ति न हो और इस विनियमावली के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;
- (झ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

लागू होना

3--(1) उपविनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते होंगे यह विनियमावली ऐसे समस्त कर्मचारियों पर लागू होगी जो परिषद् की सेवा में हों।

(2) ऐसे कर्मचारी जो प्रतिनियुक्ति और संविदा पर हों अपनी प्रतिनियुक्ति या संविदा के निबंधनों और शर्तों द्वारा नियंत्रित होंगे।

अध्याय-दो

अधिकारियों और  
कर्मचारियों की  
सदस्य संख्या

4--(1) अधिकारियों और कर्मचारियों की सदस्य-संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, अधिकारियों और कर्मचारियों की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की वर्तमान संख्या और वेतनमान उतने होंगे जितने इस विनियमावली के परिशिष्ट "क" में दिये गये हैं:

परन्तु--

- (क) नियुक्ति अधिकारी किसी रिक्त पद या किन्हीं रिक्त पदों को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या परिषद् उसे आस्थगित रख सकती है जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर या अन्य प्रतिलोभ का हकदार नहीं होगा;



(ख) परिषद् समय-समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकती है जिसे आवश्यक समझा जाय और वर्तमान पदों का नाम बदल सकती है ।

### अध्याय-तीन

#### भर्ती की सामान्य शर्तें

5--परिषद् के अधीन पदों को, नियुक्ति, नियंत्रण और अनुशासन इत्यादि के प्रयोजनों के लिये, वेतनमानों के अनुसार वर्ग क, ख, ग और घ में वर्गीकृत किया जायगा जैसा कि राज्य सरकार के अधीन समय-समय पर प्रवृत्त पदों का वर्गीकरण है ।

पदों का वर्गीकरण

6--सेवा में विभिन्न वर्गों के पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थियों की आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार के अधीन पदों पर भर्ती के लिये विहित है :

आयु

परन्तु परिषद् के कर्मचारियों के लिये उच्चतर आयु-सीमा पांच वर्ष या उतने वर्ष जितने वर्ष उन्होंने परिषद् में सेवा की हो, इसमें जो भी कम हो, अधिक होगी ।

7--सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले विभिन्न पदों के लिये विहित शैक्षिक अर्हताएँ, अधिमान्ता अर्हताएँ और अनुभव वही होगा जैसा परिशिष्ट "ख" में है ।

अर्हताएं

8--राष्ट्रीयता, चरित्र, शारीरिक स्वस्थता, वैवाहिक प्रास्थिति और विभिन्न वर्ग के पदों पर भर्ती के लिये आरक्षण संबंधी नियम, जो राज्य सरकार के अधीन पदों पर भर्ती के लिये लागू होते हैं, परिषद् के अधीन भर्ती के लिये लागू होंगे ।

राष्ट्रीयता, चरित्र, शारीरिक स्वस्थता, वैवाहिक प्रास्थिति, आरक्षण

### अध्याय-चार

#### भर्ती और नियुक्ति

9--नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ 1 में दिखाये गये प्राधिकारी या अधिकारी, सारणी के स्तम्भ 2 में दिखाये गये पदों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी होंगे :--

नियुक्ति प्राधिकारी

स्तम्भ--1

स्तम्भ-2

1--परिषद्	.. निदेशक और अपर निदेशक (प्रशासन) को छोड़कर वर्ग "क" के समस्त पद ।
2--निदेशक	.. वर्ग "ख" के समस्त पद
3--अपर निदेशक	.. वर्ग "ग" के समस्त पद ।
4--उपनिदेशक (प्रशासन) या प्रशासनिक अधिकारी ।	.. वर्ग "घ" के समस्त पद ।

10--(1) भर्ती निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी :--

भर्ती के स्रोत

(क) सीधी भर्ती द्वारा ;

(ख) परिषद् के कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा ;

87/1066 (ग) प्रतिनियुक्ति पर या संविदा के आधार पर व्यक्तियों को लेकर ;

परन्तु निदेशक और अपर निदेशक (प्रशासन) के पद प्रति नियुक्ति द्वारा भरे जायेंगे ।

टिप्पणी--निदेशक भारतीय प्रशासनिक सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान का एक अधिकारी होगा, जबकि अपर निदेशक (प्रशासन) राज्य सिविल सेवा (कार्यपालिका शाखा) की चयन श्रेणी का अधिकारी होगा ।

(2) (क) निदेशक और अपर निदेशक (प्रशासन) के पदों को छोड़कर वर्ग "क" के समस्त पद पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे ;

(ख) वर्ग "ख" में 50 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे ।

(ग) वर्ग "ग" में निम्नतम श्रेणी में 85 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा और 15 प्रतिशत वर्ग "घ" से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे ।

(घ) वर्ग "ग" में निम्नतम श्रेणी से अधिक के वेतनमान में समस्त पद पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे ।

(ङ) वर्ग "घ" में समस्त पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे ।

(3) सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा भरे जाने के लिये अपेक्षित किसी पद को परिषद् के विवेकानुसार व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति पर लेकर भरा जा सकता है ।

(4) पदोन्नति एक ही समूह के पदों तक जैसा कि परिशिष्ट "ग" में विस्तार से वर्णित है, सीमित होगी और विभिन्न पदों पर, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तों के अधीन होगी ।



**चयन समिति**

11—(1) वर्ग “क” और “ख” के पदों पर भर्ती के, चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जायगा जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

- (एक) उप सचिव के पद से अन्यून दो अधिकारी जिन्हें सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कृषि विभाग द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा ;
- (दो) उप निदेशक के पद से अन्यून तीन अधिकारी जिन्हें निदेशक द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा ;
- (तीन) चयन समिति का अध्यक्ष जिसे सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कृषि विभाग द्वारा खण्ड (एक) और (दो) में उल्लिखित सदस्यों में से नाम-निर्दिष्ट किया जायगा ।

(2) वर्ग “ग” और “घ” के पदों पर भर्ती के लिये, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा, चयन समिति में निदेशक द्वारा नाम-निर्दिष्ट अध्यक्ष सहित तीन अधिकारी होंगे ।

**सीधी भर्ती द्वारा चयन**

12—(1) नियुक्ति प्राधिकारी वर्ग क, ख, ग और घ में, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और विनियम 8 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा ।

(2) वर्ग “ख” के पदों की रिक्तियां राज्य के कम से कम दो प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापित की जायेंगी। वर्ग “ग” और “घ” के पदों की रिक्तियों की सूचना तत्समय प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अनुसार सेवायोजन कार्यालय को दी जायेंगी ।

(3) उपविनियम (2) के अधीन दिये गये विज्ञापन के अनुसरण में अभ्यर्थियों का आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर या सेवायोजन कार्यालय से नाम प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी चयन के लिये कोई दिनांक नियत करेगा और आवेदन-पत्र और नाम चयन समिति को अग्रसारित करेगा ।

(4) चयन समिति आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी । समिति विनियम 8 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये, परीक्षा और/या साक्षात्कार के लिये, जैसा वह विनिश्चित करे, पात्र अभ्यर्थियों को बुलायेगी । वर्ग ग और घ के पदों के लिये चयन की स्थिति में राज्य सरकार के अधीन इन वर्गों के पदों पर नियुक्ति के लिये विहित प्रक्रिया का पालन किया जायगा । समिति अभ्यर्थियों की, योग्यता-क्रम में, जैसा परीक्षा और/या साक्षात्कार में प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी । यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो समिति उनका नाम उनकी आयु के आधार पर रखेगी । अधिक आयु वाले व्यक्ति को ऊपर रखा जायगा ।

(5) ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के नाम, जिनके लिये विनियम 8 के अधीन रिक्तियां आरक्षित करना अपेक्षित है, उनकी परस्पर योग्यता के अनुसार, जैसा कि उनके द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक पृथक् सूची में रखे जायेंगे ।

(6) चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की जिनके लिये चयन किया गया हो, संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से ज्यादा अधिक नहीं) होंगी ।

(7) उपर्युक्त उपविनियम (4) और (5) के अधीन तैयार की गयी सूची चयन समिति द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा चयन में प्राप्त कुल अंकों का उल्लेख होगा । सामान्य और आरक्षित अभ्यर्थियों का नाम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों की योग्यता के अनुसार, एक सामान्य सूची में, विनियम 8 के अनुसार आरक्षित पदों का सम्यक् ध्यान में रखते हुए, रखा जायगा ।

**पदोन्नति द्वारा चयन**

13—(1) पदोन्नति के लिये चयन विनियम 11 के अधीन गठित की जाने वाली चयन समिति द्वारा किया जायगा । चयन के मापदण्ड, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता होगी ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठताक्रम में पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजिकों और संबंधित अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष रखेगा ।

(3) चयन समिति उप विनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है ।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता-क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।

14—यदि नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हो तो एक संयुक्त सूची तैयार की जायेगी जिसमें विनियम 12 और 13 के अधीन तैयार की गयी सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम इस प्रकार लिये जायेंगे कि सीधी भर्ती और पदोन्नति का विहित प्रतिशत बना रहे । पहला नाम विनियम 13 के अधीन तैयार की गयी सूची से होगा ।



अध्याय-पांच

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

15—(1) विनियम 12, 13 और 14 के अधीन तैयार की गयी सूची उसके अन्तिम रूप से तैयार किये जाने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये प्रवृत्त रहेगी। मौलिक रिक्तियों होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा जिसमें उसके नाम इन सूचियों में हों। नियुक्ति

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में भी उपविनियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्तियां कर सकता है।

(3) इस विनियमावली में यथा उपबंधित के सिवाय, इस विनियमावली के प्रख्यापन के पूर्व नियमित चयन के परिणाम स्वरूप परिषद् के अधीन विभिन्न श्रेणियों के पदों पर की गयी कोई नियुक्ति इस विनियमावली के अधीन की गयी नियुक्ति समझी जायगी और समस्त प्रयोजनों के लिये विधिमान्य होगी।

16—(1) परिषद् के अधीन किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त या पदोन्नति अभ्यर्थी, मौलिक रिक्ति में किसी पद पर नियुक्त होने पर पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायगा। परिवीक्षा

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, परिवीक्षा-अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक निर्दिष्ट किया जायगा जब तक वह बढ़ायी जाय।

(3) यदि परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे यथास्थिति, सेवान्मुक्त किया जा सकता है या उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(4) उपविनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवार्थ समाप्त की जाय, वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी किसी पद या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा की गणना परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

17—परिषद् के अधीन किसी पद पर सीधे नियुक्त या पदोन्नति किये गये किसी कर्मचारी को, यथास्थिति, परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के अन्त में, उसकी नियुक्ति में नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से स्थायी कर दिया जायगा, यदि— स्थायीकरण

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषप्रद बताया जाय ;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय; और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का वह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

18—(1) एतदपश्चात् यथा उपबन्धित के सिवाय, सेवा में किसी प्रवर्ग या श्रेणी के पदों पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस क्रम से, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायेंगी। ज्येष्ठता

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक निर्दिष्ट किया जाय तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायगा, और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

(2) एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो :

परन्तु सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारण की युक्तियुक्तता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो जिससे उनकी पदोन्नति की गयी।



(4) जहां नियुक्तियों पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जाय, वहां उनकी परस्पर ज्येष्ठता विनियम 14 के अनुसार तैयार की गयी संयुक्त सूची में ऐसी रीति से जिससे विहित प्रतिशत बना रहे, चक्रानुक्रम में, उनके नाम रखकर अवधारित की जायेगी।

### अध्याय-छः

#### अधिवर्षिता, वेतन, भत्ता और सेवा की अन्य शर्तें

##### अधिवर्षिता

19--(1) परिषद् के किसी कर्मचारी की अधिवर्षिता की आयु 58 वर्ष या ऐसी आयु होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये समय-समय पर विहित की जाय। अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, कोई कर्मचारी परिषद् की सेवा में नहीं रह जायगा जब तक कि परिषद् उसकी सेवायोजन की अवधि न बढ़ाये जो किसी भी स्थिति में राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् 60 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(2) भले ही कोई कर्मचारी किसी दिनांक को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करे, वह उस मास को जिसमें वह अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करे, अन्तिम दिनांक को सेवानिवृत्त होगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी समय, परिषद् के किसी कर्मचारी को (चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी) नोटिस देकर कोई कारण बताये बिना उसके 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् उससे सेवा निवृत्त होने को अपेक्षा कर सकता है या ऐसा कर्मचारी 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् या अपनी बीस वर्ष की अधिकारी सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी को नोटिस देकर स्वेच्छा से सेवा निवृत्त हो सकता है। ऐसी नोटिस की अवधि तीन मास होगी।

##### भर्ती होने पर वेतन

20--(1) सीधे भर्ती किया गया कोई कर्मचारी कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पद के सम्बन्ध में लागू न्यूनतम वेतन और भत्ता या उसके नियुक्ति-पत्र में इंगित वेतन और भत्ता पाना प्रारम्भ कर देगा।

(2) ऐसे कर्मचारियों की स्थिति में, जो निम्न श्रेणी से पदोन्नत करके नियुक्त किये जायें, उनका वेतन फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड दो, भाग दो से चार में निहित उपबन्धों के अनुसार नियत किया जायगा।

(3) ऐसे कर्मचारियों की स्थिति में, जो सरकार से प्रतिनियुक्ति पर लिये जायें, उनका वेतन वही होगा जो परिषद् और सरकार के बीच तय हो।

(4) ऐसे कर्मचारियों की स्थिति में, जो संविदा पर रखे गये हों, उनका वेतन परिषद् और सम्बद्ध कर्मचारियों के बीच की गयी संविदा की शर्तों के अनुसार नियत किया जायगा।

(5) अन्य परिलब्धि जैसे विशेष वेतन, स्नातकोत्तर वेतन आदि का भुगतान फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड दो, भाग दो से चार में निहित नियमों और ऐसे अन्य अनुदेशों को जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें, ध्यान में रखते हुये किसी व्यक्तिगत मामले के गुणावगुण के आधार पर परिषद् द्वारा किया जायगा।

##### वार्षिक वेतन वृद्धि

21--(1) कर्मचारी को वार्षिक वेतन-वृद्धि पूरे एक वर्ष की सेवा पूरी करने पर उस वेतन के समय-मान में जिसमें वह नियुक्त किया गया हो, दिखायी गयी दर से दी जायेगी बशर्त उसकी वेतनवृद्धि आनुशासनिक उपाय के रूप में रोक न गयी हो या उसे दक्षता-रोक पर रोक न लिया गया हो।

(2) किसी कर्मचारी को समय-मान में वेतन-वृद्धि उस मास के जिसमें वह देय हो, प्रथम दिनांक को स्वीकृत की जायेगी।

(3) किसी परीवीक्षाधीन व्यक्ति को एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी करने पर, समय-मान में उसकी वेतन-वृद्धि की स्वीकृति दी जा सकेगी।

परन्तु यदि संतोष प्रदान करने में विफल रहने के कारण परीवीक्षा-अवधि बढ़ायी जाय तो ऐसी बढ़ायी गयी अवधि की गणना-वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(4) ऐसे कर्मचारी की जो असाधारण छुट्टी पर रहे, वेतन-वृद्धि का दिनांक तदनुरूप आगे बढ़ा दिया जायगा और ऐसी छुट्टी की अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी।



22-किसी कर्मचारी को दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि नियुक्ति अधिकारी का यह समाधान न हो जाय कि वह दक्षतापूर्वक और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य कर रहा है और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

दक्षतारोक पार करना

23-परिषद् समय-समय पर विभिन्न वर्गों और प्रवर्गों के कर्मचारियों को अनुमन्य महंगाई भत्ते की दर और धनराशि विनिश्चित कर सकती है।

महंगाई भत्ता

24-परिषद् ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह विनिर्दिष्ट करे अन्य भत्तों और सुख-सुविधाओं जैसे नगर प्रतिकर भत्ता, मकान किराया भत्ता, सवारी भत्ता और चिकित्सा सुविधाओं आदि का विनिश्चय और उनकी स्वीकृति का विनियमन कर सकती है।

अन्य भत्ता

25-(1) परिषद् के किसी कर्मचारी को कोई पेंशन देय नहीं होगी।

सेवा निवृत्ति

(2) परिषद् के अधीन कार्यरत कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों या सामान्य भविष्य-निधि नियमावली के, जो उन पर लागू हो, उपबन्धों के अनुसार भविष्य-निधि में अंशदान करेंगे।

लाभ

(3) उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उपदान का भुगतान किया जायगा। ऐसे कर्मचारियों के लिये जो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते, उपदान का भुगतान राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये सामान्य निदेशों या मार्ग दर्शक सिद्धांतों की सीमा के भीतर, परिषद् द्वारा समय-समय पर किये गये विनिश्चयों द्वारा विनियमित होगा।

26-परिषद् के निदेशों के अधीन रहते हुए परिषद् के कर्मचारियों को छुट्टी राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू नियमों के अनुसार स्वीकृत की जायगी।

छुट्टी

#### अध्याय-सात

##### प्रकीर्ण

27-राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली के उपबन्ध परिषद् के कर्मचारियों पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

आचरण

28-राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू रूल्स रिलेटिंग टू डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, अपील एण्ड रिप्रेजेंटेशन अगेस्ट पनिशमेन्ट परिषद् के कर्मचारियों पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

नियन्त्रण और अपील

29-ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत आते हों, परिषद् की सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य सरकार के कर्मचारियों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

अन्य विषयों का विनियमन

30-इस विनियमावली में किसी बात के होते हुए भी, जहां परिषद् का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी विनियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां पर राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, आदेश द्वारा, उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्य पूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, उस विनियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

शिथिलता

जे० ए० कल्याण कृष्णन,

कृषि उत्पादन आयुक्त,

अध्यक्ष

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्

उ० प्र०।

डा० यशपाल सिंह

सदस्य / सचिव

मण्डी निदेशक।

आज्ञा से,

भगवती प्रसाद वर्मा

संयुक्त सचिव।



परिशिष्ट "क"  
(विनियम 4 देखिये)

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	निदेशक	1	(भारतीय प्रशासनिक सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान में)
2	अपर निदेशक (प्रशासन)	1	1840-60-1900-75-2200-100-2400 रुपया
3	अपर निदेशक (निर्माण)	2	तदेव
4	उप निदेशक (प्रशासन)	1	1250-50-1300-द0 रो0-60-1600- द0 रो0-60-1900-75-2050 रुपया।
5	ज्येष्ठ लेखा अधिकारी	1	तदेव
6	उप निदेशक (निर्माण) (विद्युत और यांत्रिक अनुश्रवण/ मानीटरिंग प्रकोष्ठ)	2	तदेव
7	उप निदेशक (विपणन)	1	तदेव
8	संभागीय उप निदेशक (प्रशासन)	5	तदेव
9	संभागीय उप निदेशक (निर्माण)	8	तदेव
10	संभागीय लेखाधिकारी	5	1000-50-1300-द0 रो0-60-1600- द0 रो0-60-1900 रुपया
11	सहायक निदेशक	1	850-40-1050-द0 रो0-50-1300-60-1420 द0 रो0-60-1720 रुपया
12	प्रशासनिक अधिकारी	1	तदेव
13	लेखा अधिकारी	2	तदेव
14	वित्त अधिकारी	1	तदेव
15	विपणन अधिकारी	5	तदेव
16	सांख्यिकी अधिकारी	1	तदेव
17	प्रचार अधिकारी	1	तदेव
18	संभागीय विपणन अधिकारी	3	तदेव
19	सहायक अभियन्ता	59	तदेव
20	सहायक वास्तुविद्/सहायक नगर योजनाकार (टाउन प्लानर)	4	850-40-1050- द0 रो0-50-1300-60-1420-द0 रो0-60-1720 रुपया।
21	निजी सचिव	1	770-40-1050-द0 रो0-50-1300-60-1420-द0 रो0-60-1600 रुपया
22	अनुभाग अधिकारी	2	770-40-1050- द0 रो0-50-1300-60-1420-द0 रो0-60-1600 रुपया
23	प्रधान लिपिक/कार्यालय अधीक्षक	4	670-25-770-30-800- द0 रो0-30-980-द0 रो0-30-1100 रुपया
24	ज्येष्ठ लेखाकार	4	625-30-835 द0 रो0-30-925-35-1065 द0 रो0-35-1240 रुपया
25	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	13	625-30-835- द0 रो0-30-925-35-1065-द0 रो0-35-1240 रुपया।
26	लेखाकार/ रोकड़िया	1	570-25-770-द0 रो0-30-980- द0 रो0-30-1100 रुपया
27	लेखाकार	14	570-25-770- द0 रो0-30-980- द0 रो0-30-1100 रुपया।
28	रेगुलेशन सहायक	1	570-25-770-द0 रो0-30-980- द0 रो0-30-1100 रुपया।
29	निर्वाचन सहायक	1	570-25-770-द0 रो0-30-980- द0 रो0-30-1100 रुपया।



30	तकनीकी सहायक	..	5	570-25-770-द0 रो0-30-980- द0 रो0-30-1100 रुपया ।
31	सांख्यिकी सहायक	..	2	570-25-770-द0 रो0-30-980- द0 रो0-30-1100 रुपया ।
32	विधिक सहायक	..	2	570-25-770- द0 रो0-30-980- द0 रो0-30-1100 रुपया ।
33	संगणक	..	14	550-18-640-20-680-द0 रो0-20-740-25-865-द0 रो0-25-940 रुपया ।
34	अवर-अभियन्ता	..	112	515-15-590-18-626-द0 रो0-18-680-20-780-द0 रो0-20-860 रुपया ।
35	आशुलिपिक (चयन श्रेणी)	..	3	680-20-740-द0 रो0- 20-920 रुपया ।
36	आशुलिपिक	..	23	515-15-590-18-626-द0 रो0-18- 680-20-780-द0 रो0 20-860 रुपया ।
37	सांख्यिकी संगणक/विधायन कार्य सहायक	..	6	470-15-575-द0 रो0- 15-650-17-701-द0 रो0-17-735 रुपया ।
38	सहायक रोकड़िया	..	1	470-15-575-द0 रो0-15- 650-17-701-द0 रो0-17-735 रुपया ।
39	नक्शा नवीस	..	12	470-15-575-द0 रो0 -15-650-17-701 द0 रो0-17-735 रुपया ।
40	ज्येष्ठ लिपिक/स्टोर कीपर/निर्माण प्रभाग में प्रधान लिपिक / कनिष्ठ सहायक	..	17	470-15-575-द0 रो0-15-650-17-701 द0 रो0-17-735 रुपया ।
41	लिपिक एवं टंकक	..	143	430-12-490-15-520-द0 रो0-15-640- द0 रो0-15-685 रुपया ।
42	लेखा लिपिक	..	12	430-12-490-15-520-द0 रो0-15-640-द0 रो0-15-685 रुपया ।
43	ड्राइवर	..	18	330-7-365-8-381-द0 रो0-8-405-9-450-द0 रो0-9-495 रुपया ।
44	ब्लू प्रिंटर	..	4	315-6-351-द0 रो0-6-363-7-384-8-400 द0 रो0-8-440 रुपया ।
45	मशीन मैन	..	1	315-6-351-द0 रो0-6-363-7-384-8-400 द0 रो0 8-440 रुपया ।
46	रोड रोलर ड्राइवर	..	5	315-6-351-द0 रो0-6-363-7-384-8-400 द0 रो0-8-440 रुपया ।
47	दफ्तरी	..	12	315-6-351-द0 रो0-6-363-7-384-8-400 द0 रो0-8-440 रुपया ।
48	चपरासी	..	43	305-5-330-द0 रो0-6-360 द0 रो0-6-390 रुपया ।
49	चौकीदार	..	19	305-5-330-द0 रो0-6-360-द0 रो0-6-390 रुपया
50	फर्राश	..	1	305-5-330-द0 रो0-6-360- द0 रो0-6-390 रुपया ।
51	माली	..	2	305-5-330-द0 रो0-6-360- द0 रो0-6-390 रुपया ।
52	मेहतर	..	11	305-5-330-द0 रो0-6-360-द0 रो0-6-390 रुपया ।
53	रोड रोलर क्लीनर	..	5	305-5-330-द0 रो0-6-360-द0 रो0-6-390 रुपया ।



## परिशिष्ट "ख"

विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएँ  
(विनियम 7 देखिये)

क्रम सं०	पदनाम या पद	सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव
1	विपणन अधिकारी	.. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, परन्तु अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायगा जो कृषि या कृषि विपणन या वाणिज्य या अर्थशास्त्र में स्नातक हो।
2	लेखा अधिकारी	.. एक विषय के रूप में लेखाशास्त्र के साथ वाणिज्य में स्नातक और किसी उत्तर-दायित्व पूर्ण हैसियत में लेखा कार्य का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव/लेखा परीक्षा/लेखा में उच्च अर्हता के लिये अधिमान दिया जायगा।
3	सांख्यिकी संगणक	.. एक विषय के रूप में गणित या सांख्यिकी के साथ विज्ञान या कला में स्नातक के साथ सांख्यिकी कार्य में कम से कम दो वर्ष का अनुभव।
4	विधायन कार्य सहायक	
5	आशुलिपिक	.. स्नातक के साथ हिन्दी आशुलिपिक में 80 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति / अंग्रेजी आशुलिपिक टंकण जानने वाले व्यक्ति को अधिमान दिया जायगा।
6	लेखा लिपिक	.. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में लेखाशास्त्र के साथ बी० काम० / लेखा / लेखा परीक्षा कार्य में अनुभव रखने वाले व्यक्ति को अधिमान दिया जायगा।
7	लिपिक एवं टंकक	.. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और हिन्दी टंकण में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति।
8	सहायक अभियन्ता / सहायक वस्तुविद्	जैसा कि राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग में इन पदों पर नियुक्ति के लिये विहित है।
9	अवर अभियन्ता	
10	संगणक	
11	नक्शानवीस	
12	ब्ल प्रिंटर	
13	रोड रोलर ड्राइवर	
14	रोड रोलर क्लीनर	
15	ड्राइवर	.. ऐसे व्यक्ति जिसके पास ड्राइविंग का लाइसेन्स हो और गाड़ी चलाने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो।
16	दफ्तरी	.. कम से कम कक्षा छः उत्तीर्ण हो, हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान होने के साथ जिल्द/साजी के कार्य का अनुभव हो।
17	मशीन मैन	.. कम से कम कक्षा छः उत्तीर्ण होने के साथ हिन्दी और अंग्रेजी का कार्यकारी ज्ञान।
18	चपरासी/चौकीदार	.. कम से कम कक्षा छः उत्तीर्ण होने के साथ हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान।
19	माली	.. हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान हो और बागवानी कार्य का अनुभव।
20	मेहतर	.. अपने कार्य का अनुभव हो। ऐसे व्यक्ति को अधिमान दिया जायगा जिसको हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान हो।
21	फर्श	.. अपने कार्य का अनुभव हो। ऐसे व्यक्ति को अधिमान दिया जायगा जिसे हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान हो।



In exercise of the powers under section 26-X of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U. P. Act no. XXV of 1964), the State Agricultural Produce Market Board, Lucknow, makes, with the previous approval of the State Government, the following regulations :

## THE UTTAR PRADESH AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS BOARD (OFFICERS AND STAFF ESTABLISHMENT ) REGULATIONS, 1984

### CHAPTER-I GENERAL

1. (i) These Regulations may be called the Uttar Pradesh Agricultural Produce Markets Board (Officers and Staff Establishment) Regulations, 1984.

Short title and commencement

(ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette. :

2. (i) In these regulation :—

Definitions.

(a) "Additional Director", "Deputy Director (Administration)" and "Administrative Officer" means Additional Director, Deputy Director (Administration) and Administrative Officer of Mandies.

(b) "Board" means the State Agricultural Produce Markets Board, Lucknow constituted under section 26-A the Act.

(c) "Class" means a class of posts referred to in Regulation 5.

(d) "Director" means the Director of Mandies.

(e) "Employee" means every person appointed on whole time basis in classes A, B, C and D mentioned in regulation 5, whether on contract basis, on deputation or otherwise but does not include persons employed on daily wages, work charged and on part-time basis.

(f) "Pay" means the amount drawn by an employee of the Board and includes his :—

(i) Basic pay which has been sanctioned to him for the post held by him substantively. or in a temporary or officiating capacity.

(ii) Special pay, deputation pay and personal pay.

(iii) Any other emoluments or allowances which may be specially classed as pay by the Board but does not include dearness allowances, overtime allowance, travelling allowance, conveyance allowance, medical allowance, city compensatory allowance, house rent allowance, washing allowance or the like.

(j) "Service" means service under the Board.

(h) "Substantive appointment" means an appointment, not being an ad-hoc appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with these regulations.

(i) "Year of the recruitment" means period of 12 months commencing from the 1st day of July of a calendar year.

3. (1) Subject to the provisions of sub-regulation (2) these regulations shall apply to all employees who are in the service of the Board.

Applicability.

(2) Employees on deputation and on contract shall be governed by the term and conditions of their deputation or contract.

### CHAPTER-II

4. (1) The strength of the officers and staff and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Board from time to time.

Strength of the Officers and Staff

(2) The present strength of the officers and staff and of each category of posts therein and the scales of pay shall, until orders varying the same are passed, be as given in the Appendix 'A' to these regulations :



Provided that —

(a) The appointing authority may leave unfilled or the Board may hold in abeyance any vacant post or posts without thereby entitling any person to compensation or other redress.

(b) The Board may create such additional permanent or temporary posts from time to time as may be found necessary and may change the nomenclature of the existing posts.

### CHAPTER III—GENERAL CONDITIONS OF RECRUITMENT

Classification of Posts

5. Posts under the Board shall for purposes of appointment control, and discipline, etc. be classified in classes A, B, C, and according to the pay scales as per classification of posts under the State Government in force from time to time.

Age

6. Age limits for the candidates for direct recruitment to different classes of posts in the service shall be as prescribed for recruitment to posts under the State Government.

Provided that the upper age limits for employees of the Board shall be greater by five year or the number of years they have put up in the Board, whichever is less.

Qualifications

7. The minimum educational qualifications, preferential qualifications and experience prescribed for the various posts to be filled in by direct recruitment shall be as in Appendix 'B'.

Nationality-Character, Physical fitness, Marital Status, Reservation

8. Rules regarding Nationality, Character, Physical fitness, marital status and reservation for recruitment to different class of posts as applicable for recruitment to posts under the State Government shall apply to recruitment under the Board.

### CHAPTER IV—Recruitment and Appointment

Appointing Authority

9. The authority or the officers shown in column 1 of the table below shall be the appointing authority in respect of the posts shown in column 2 of the table,

Col. 1	Col. 2
1. Board	... All posts in Class A (except the Director and Additional Director (Administration)).
2. Director	... All posts in Class B.
3. Additional Director	... All posts in Class C.
4. Deputy Director (Administration) or Administrative Officer.	... All posts in Class D.

Source of Recruitment

10. (1) Provided that the posts of Director and Additional Director (Administration) shall be filled by deputation.

Note :—The Director shall be an officer in the senior scale of the I. A. S. while the Additional Director (Administration) shall be an officer in the selection grade of the State Civil Service (Executive Branch).

(2) (a) All the posts in Class A except the post of Director and Additional Director (Administration) shall be filled by promotion.

(b) 50 per cent posts in Class B shall be filled by promotion and 50 per cent by direct recruitment.

(c) 85 per cent posts in lowest grade in Class C shall be filled by direct recruitment and 15 per cent by promotion from Class D.

(d) All the posts in the scale of pay above the lowest grade in Class C shall be filled by promotion.

(e) All the posts in Class D shall be filled by direct recruitment.

(3) Any post required to be filled by direct recruitment or promotion may in the discretion of the Board, be filled by taking persons on deputation.

(4) Promotion shall be confined to the posts within the same group as detailed in Appendix 'C' and shall be subject to the conditions eligibility for promotion to different posts as mentioned therein.



11. (1) For the purposes of recruitment to Class 'A' and 'B' posts, whether by direct recruitment or by promotions there shall be constituted a Selection Committee comprising the following :—

Selection  
Committees

- (i) two officers not below the rank of Deputy Secretary to be nominated by the Secretary to the State Government in the Agriculture Department.
- (ii) Three officers not below the rank of Deputy Director to be nominated by the Director.
- (iii) the Chairman of the Selection Committee shall be nominated, by the Secretary of the State Government in Agriculture Department, the out of the members represented in class (i) and (ii).

(2) For recruitment to Class 'C' and 'D' posts, whether by direct recruitment or by promotion, the selection committee shall consist of three officers including the Chairman to be nominated by the Director.

12. (1) The appointing authority shall determine the number of vacancies, in all the classes A, B, C and D, to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to scheduled castes, scheduled tribes and other categories under regulation 8.

(2) The vacancies in Class 'B' posts shall be advertised in at least two leading newspapers of the State, for the posts in class 'C' and 'D' vacancies shall be notified to the employment exchange in accordance with the rules and orders for the time being in force.

(3) When the applications of the candidates have been received in response to the advertisement made under sub-regulation (2) or the names are received through the employment exchanges, the appointing authority shall fix a date for selection and forward the applications and names to the selection committee.

(4) The Selection committee shall scrutinise the applications and prepare a list of eligible candidates. The Committee shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to scheduled castes, scheduled tribes and other categories in accordance with regulation 8, call the eligible candidates for test and or interview as it may decide. In the case of selection to Class 'C' and 'D' posts procedure prescribed for appointment to these classes of posts under the State Government shall be followed. The committee shall prepare list of candidates in order of merit as disclosed by the marks obtained in the test and/or interview. If two or more candidates obtained equal marks, the committee shall arrange their names on the basis of their age, the older in age being placed higher.

(5) The names of the candidates belonging to such categories for whom vacancies are required to be reserved under regulation 8 shall be arranged in a separate list according to their *inter-se-merit* disclosed by the marks obtained by them.

(6) The number of candidates to be selected will be larger (but not larger by more than 25 percent) than the number of vacancies for which the selection has been made.

(7) The list prepared under sub-regulations (4) and (5) above shall be forwarded by the selection committee to the Appointing authority mentioning the aggregate marks obtained at the selection by each candidate. The names of general and reserved candidates shall be arranged by the appointing authority in a common list according to the merit of the candidates having due regard to the posts reserved under regulation 8.

13. (i) Selection for promotion shall be made by selection committee to be constituted under regulation II. The criteria for selection shall be seniority subject to rejection of the unfit.

Selection by  
promotion.



(2) The appointing authority shall prepare an eligibility list of the candidates arranged in order of seniority and place it before selection committee along with their character rolls and other necessary records pertaining to them.

(3) The selection committee shall consider the cases of the candidates on the basis of records referred to in sub-regulation (2) and if it considers necessary, may interview the candidates also.

(4) The Selection committee shall prepare list of selected candidates arranged in order of seniority and forward the same to the appointing authority.

**Combined list.**

14. If appointment is to be made both by direct recruitment and by promotion, combined select list shall be prepared by taking the names of the candidates from the lists prepared under regulations 12 and 13 in such manner that the prescribed percentage of direct recruitment and promotion is maintained, the first name being from the list prepared under regulation 13.

**CHAPTER V—Appointment, Probation, Confirmation and Seniority**

**Appointment.**

15. (1) The lists prepared under regulations 12, 13 and 14 will remain in force for a period of one year from the date of their finalisation, on the occurrence of substantive vacancies, the appointing authority shall make appointments by taking candidates in the order in which they stand in these lists.

(2) The appointing authority may make appointments in temporary and officiating vacancies also from lists referred to in sub-regulation 1.

(3) Except as provided in these regulations, any appointment made to various categories of posts under the Board as a result of regular selection before the promulgation of these regulations shall be deemed to have been made under these regulations and shall be valid for the purposes.

**Probation.**

16. (1) A candidate appointed by direct recruitment or promoted to any posts under the Board shall, on appointment to a post in a substantive vacancy, be placed on probation for a period of one year from the date of joining the post.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded in writing, extend the period of probation specifying the date up to which the extension is granted.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be discharge or reverted to his substantive posts, as the case may be.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-regulation (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service rendered in an officiating or temporary capacity in a post or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

**Confirmation.**

17. An employee directly appointed or promoted to any post under the Board will be confirmed in his appointment by an order of the appointing authority at the end of his period of probation or extended period of probation as the case may be, if—

(a) his work and conduct are reported to be satisfactory.

(b) the integrity is certified, and

(c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

**Seniority.**

18. (1) Except as hereinafter provided, the seniority of persons in any category or grade of posts in the service shall be determined from the date of the orders of substantive ap-



pointment and if two or more persons are appointed together, by such order, the order in which their names are arranged in the appointment order :

Provided that if the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person is substantively appointed, that date, will be deemed to be the date of order of substantive appointment and in other cases, it will mean the date of issue of the order.

(2) The seniority *inter-se* of persons appointed directly on the result of any one selection, shall be the same as determined by the selection committee. Provided that a candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without valid reasons. When vacancy is offered to him, the decision of the appointing authority as to the validity of reasons shall be final.

(3) The seniority *inter-se* of persons appointed by promotion shall be the same as it was in the cadre from which they were promoted.

(4) Where appointments are made both by promotion and direct recruitment, the *inter-se*—seniority shall be determined by arranging the names in a cyclic order in a combined list, prepared in accordance with regulation 14, in such manner that the prescribed percentage is maintained.

## CHAPTER VI

### SUPERANNUATION, PAY, ALLOWANCES AND OTHER SERVICE CONDITIONS

Superannuation

19. (1) The age of superannuation of an employee of the Board shall be 58 years or such age as may be prescribed by the State Government for its employees from time to time. On attaining the age of superannuation, an employee shall cease to be in the service of the Board unless the latter extends the period of his employment which, in no case should go beyond the age of 60 years after obtaining prior approval of the State Government.

(2) Irrespective of the date on which an employee attains the age of superannuation, he will retire on the last day of the month in which he attains the age of superannuation.

(3) The appointing authority may, at any time, by notice to an employee of the Board (whether permanent or temporary), without assigning any reason, require him to retire after he attains the age of 50 years or such employee may by notice to the appointing authority voluntarily retire at any time after attaining the age of 45 years or after he has completed qualifying service of twenty years. The period of such notice shall be three months.

Pay on recruitment.

20. (1) An employee directly recruited shall commence to draw the minimum pay and allowances applicable to the post or the pay and allowances indicated in his letter of appointment from the date he assumes charge.

(2) In the case of employees who are appointed by promotion from a lower grade, their pay shall be fixed in accordance with the provisions contained in Financial Handbook Vol. II, Parts II to IV.

(3) In the case of employees taken from Government on deputation their pay will be as agreed upon between the Board and the Government.

(4) In the case of employees engaged on contract basis their pay will be fixed according to the conditions of contract entered into between the Board and the employees concerned.

(5) Payment of other emoluments e. g. special pay, post-graduate pay etc. will be made by the Board on the merits of an individual case bearing in mind the rules contained in Financial Handbook, Vol. II, Parts II to IV and such other instructions as issued by the State Government from time to time.

Annual Increment

21. (1) An annual increment on the completion of one complete year of service may be allowed to an employee at the rate shown in the time scale of pay in which he has been appointed, provided that his increment has not been withheld as a disciplinary measure or he is not held up at the efficiency bar.



(2) Increment in a time scale will be granted to an employee from the first day of the month in which it falls due.

(3) A person on probation may be allowed his increment in the time scale on completion of one year's satisfactory service. :

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(4) An increment of an employee who remains on extraordinary leave, shall correspondingly be shifted and the period of such leave shall not count for increment.

Crossing of  
efficiency bar

22. No employee shall be allowed to cross an efficiency bar unless the appointing authority is satisfied that he has been working efficiently and to the best of his ability and his integrity is certified.

Dearness  
allowance.

23 The Board may decide the rate and amount of dearness allowance admissible to the different classes and categories of employees from time to time

Other  
allowances.

24 The Board may decide and regulate the grant of other allowances and amenities e. g. city compensatory allowance, house rent allowance, conveyance allowance and medical facilities etc subject to such terms and conditions as it may specify.

Retirement  
benefits

25 (1) No pension shall be payable to an employee of the Board

(2) The employees serving under the Board shall contribute to provident fund in accordance with the provisions of the Employees Provident Fund Act and the rules made thereunder or the General provident fund rules as may be applicable to them

(3) Employees covered by the Payment of Gratuity Act, 1972 will be paid gratuity according to the provisions of that Act. For employees who are not covered by the said act, payment gratuity shall be regulated by the decisions of the Board taken from time to time within the limitations of the general directions or guidelines issued by the State Government from time to time.

Leave.

26. Subject to the directions of the Board, grant of leave to the employees of the Board shall be as per rules applicable to State Government employees.

#### CHAPTER VII — MISCELLANEOUS

Conduct.

27. Provision of Government servant conduct rules applicable to State Government employees shall *mutatis mutandis* apply to the employees of Board.

Control and  
appeal.

28. The rules relating to disciplinary proceedings appeals and representation against punishment, applicable to the employees of the State Government shall *mutatis mutandis* apply to the employees of the Board.

Regulation of  
other matter.

29. In regard to the matter not specifically covered by the rules or by special orders, persons appointed to the service of the Board shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to State Government employees.

Relaxation.

30. Notwithstanding anything contained in these regulations, where the Board satisfied that the operation of any regulation regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, with the previous approval of the State Government, by order, dispense with or relax the requirements of that regulation to such extent and subject to such additions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

J. A. KALYANKRISHNAN,  
Agriculture Production Commissioner,  
Chairman

Rajya Krishi Utpadan Mandi Parishad, Uttar Pradesh

DR. YASH PAL SINGH,  
Member-Secretary,  
Director of Mandies

By Order,  
BHAGWATI PRASAD VERMA  
Sanyukt Sachiv



APPENDIX 'A'

( See Regulation 4 )

Serial no.	Name of the post	No. of posts	Pay scale
1	2	3	4
			Rs.
1	Director .. ..	1	In the Senior I.A.S. Scale)
2	Addl. Director (Administration)	1	1840—60—1900—75—2200—100—2400
3	Addl. Director (Construction) ..	2	Ditto.
4	Dy. Director (Administration) ..	1	1250—50—1300—E.B.—60—1600—E.B.—60—1900—75—2050
5	Senior Accounts Officer ..	1	Ditto.
6	Dy. Director (Construction) (Electrical and Mechanical Monitoring cell).	2	Ditto.
7	Dy. Director (Marketing) ..	1	Ditto.
8	Regional Dy. Director (Administration).	5	Ditto.
9	Regional Dy. Director (Construction)	8	Ditto
10	Regional Accounts Officer ..	5	1000—50—1300—E.B.—60—1600—E.B.—60—1900.
11	Assistant Director ..	1	850—40—1050—E.B.—50—1300—E.B.—60—1420—E.B.—60—1720.
12	Administrative Officer ..	1	Ditto.
13	Accounts officer ..	2	Ditto.
14	Finance Officer ..	1	850—40—1050—E.B.—50—1300—60—1420—E.B.—60—1720.
15	Marketing Officer ..	5	Ditto.
16	Statistical Officer ..	1	Ditto.
17	Publicity Officer ..	1	Ditto.
18	Regional Marketing Officer ..	3	Ditto.
19	Asstt. Engineer ..	59	Ditto.
20	Assistant Architect/Assistant Town Planner.	4	Ditto.
21	Private Secretary ..	1	770—40—1050—E.B.—50—1300—E.B.—60—1420—E.B.—60—1600.
22	Section Officer ..	2	Ditto.
23	Head Clerk/Office Superintendent	4	670—25—770—30—800—30—980—E.B.—30—1100.



## APPENDIX 'B'

(Qualifications prescribed for Direct Recruitment to various posts)

(See REGULATION 7)

Serial no.	Designation of post	Academic qualification and experience prescribed for appointment by Direct Recruitment
1	2	3
1	Marketing Officer	.. Graduate from a recognized University, provided other things being equal the Graduate in Agriculture of Agricultural Marketing or Commerce or Economic shall be given preference.
2	Accounts Officer	.. Graduate in Commerce with Accountancy as one of the subjects and having at least Five Years experience in Accounts work in a responsible capacity. Preference shall be given for higher qualification in Audit/Accounts.
3	Sankhiyki Sangnak	} .. Bachelor of Science or Arts with Mathematics or Statistics as one of the subjects with at least two years experience in Statistical Work.
4	Vidhayan Karya Sahayaka	
5	Stenographer	.. Graduate with at least 80 W.P.M. in Hindi short hand and 30 W. P.M. in Hindi Typewriting. Preference will be given to persons knowing English Steno-Typing also.
6	Accounts Clerk	.. B. Com. from a recognized University with accountancy as one of the subjects. Preference will be given to experienced hands in Account/Audit Work.
7	Clerk-cum-Typist	— Graduate from a recognized University having a speed of at least 25 W.P.M. in Hindi Typing.
8	Assistant Engineer/ Assistant Architect.	} As prescribed in the P.W.D. of the State Government for appointment to these posts.
9	Junior Engineer	
10	Computer	
11	Draughtsman	
12	Blue Printer	
13	Road Roller Driver	
14	Road Roller Cleaner	
15	Driver	
16	Daftari	.. At least VI class passed having working knowledge of Hindi with experience of book binding work.
17	Machine Man	.. At least VI class passed with working knowledge of Hindi and English.
18	Peon/Chowkidar	.. At least VI class passed with working knowledge of Hindi.
19	Mali	.. Having working knowledge of Hindi and experience in Gardening work.
20	Sweeper	.. Having experience of the job. Persons having working knowledge of Hindi shall be preferred.
21	Farrash	.. Having experience of the job. Persons having working knowledge of Hindi shall be preferred.



## APPENDIX 'C'

### Similar Groups of posts and eligibility for promotion under Regulation 10(4)

#### General :

(a) Clerk-cum-Typist  
(Rs.430—685)

After at least 3 years of service.

1. Jyesth Lipik.
2. Store-keeper.
3. Kanisth Sahayak.
4. Head Clerk in construction division  
(Rs. 470—735).

After at least 3 years of service.

1. Regulation Asstt. (Rs. 570—1100).
2. Election Asstt. (Rs. 570—1100).
3. Technical Asstt. (Rs. 570—1100).
4. Legal Asstt. (Rs. 570—1100).

After at least 3 years of service.

Head Clerk/Office Supdt.  
(Rs. 670—1100).

After at least 3 years of service.

Section Officer  
(Rs. 770—1600).

(b) Stenographer  
(Rs. 515—860).

After at least 3 years of service.

5. Senior Grade Graduate.

Asstt. (Rs. 570—1100).

Selection Grade Stenographer  
(Rs. 680—920).

#### Accounts :

Accounts Clerk  
(Rs. 430—685).

After at least 3 years of service

1. Assistant cashier  
(Rs. 470—735).
2. Assistant accountant  
(Rs. 470—735).
3. Assistant Auditors  
(Rs.470—735).

After at least 3 years of service.

1. Accountant/Cashier  
(Rs. 570—1100).
2. Accountant  
(Rs. 570—1100).
3. Auditors  
(Rs. 570—1100).

After at least 3 years of service.

1. Senior Accountant  
(Rs. 625—1240).
2. Senior Auditor  
Rs. 625—1240).

After at least 3 years of service.

1. Assistant Finance Officer  
(Rs. 690—1420).
2. Assistant Auditor and Accounts Officer  
(Rs. 690—1420).

After at least 3 years of service.

1. Finance Officer  
(Rs. 850—1720).
2. Accounts Officer  
(Rs 850—1720).



**Statistical Section :**

Rankhyiki  
Sangrak  
Rs. 470—  
35).

After  
at least  
3 years of  
service

Statistical  
Assistant  
(Rs. 570—  
1100).

After  
at least  
3 years of  
service.

Assistant  
Statistical  
Officer  
(Rs. 625—  
1240).

After  
at least  
3 years of  
service.

Statistical  
Officer  
(Rs. 850—  
1720).

Midhan Karva  
Mahayak  
Rs. 470—  
35).

man :

Assistant Engineer  
(Rs. 850—1720).

After at least 6 years of  
service.

Deputy Director (Construction)  
(Rs. 1250—2050).

Junior Engineer

After at least 10 years of  
service.

Assistant Engineer  
(Rs. 850—1720).

Computer  
(Rs. 550—940).

After at least 10 years of  
service subject to other  
condition of eligibility as  
prescribed in P. W. D. of  
the State Government.

Assistant Engineer  
(Rs. 850—1720).

Draughtsman

After at least 3 years of  
service subject to other  
conditions of eligibility as  
prescribed in P. W. D. of  
State Government.

Computer  
(Rs. 550—940).